# कार्यालय नगर परिषद सोहना
# (गुरुग्राम)

## सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम गुजराम राज्य एवं अन्य के रूप में विशेष अपील (सी) संख्या 8519/2006 में पारित दिनांक 29.09.2009 के आदेश के तहत निर्देश दिया कि उस तिथि के बाद सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक पार्कों या सार्वजनिक स्थानों पर मन्दिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा या अनुमति नहीं दी जायेगी और प्रारंभिक रूप से रिपोर्ट मांगने और कार्यान्वयन की निगरानी के बाद दिनांक 31.01.2018 के आदेश के तहत मामलो को प्रभावी तरीके से अपने आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित उच्च न्यायालय को भेज दिया है।

उच्च आदेशों की पालना में सरकारी भूमि, ग्रीन बेल्ट, सरकारी पार्क, सड़क, फुटपाथ इत्यादि पर बने अवैध धार्मिक संस्थान स्ट्रक्चर, भवन आदि को तुरन्त प्रभाव से हटा लें अन्यथा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुये उपरोक्त भवनों को तोड़-फोड़ कर हटा दिया जायेगा। जिसमें होने वाले हर्जा खर्चा के लिये उपरोक्त संस्थानों को चलाने वाले अनुयायी स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित के विरुद्ध दंडात्मक एवं न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद सोहना

**SAMVAD:-1078/11/732/2026/36193/C/1/7 Dt.03/07/2025**

# कार्यालय नगर परिषद सोहना (गुरुग्राम)

## सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के रूप में विशेष अपील (सी) संख्या 8519/2006 में पारित दिंनाक 29.09.2009 के आदेश के तहत निर्देश दिया कि उस तिथि के बाद सार्वजनिक सडकों, सार्वजनिक पार्कों या सार्वजनिक स्थानों पर मन्दिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई अनाधिकृत निर्माण नही किया जायेगा या अनुमति नही दी जायेगी और प्रारंभिक रूप से रिपोर्ट मांगने और कार्यान्वयन की निगरानी के बाद दिंनाक 31.01.2018 के आदेश के तहत मामलो को प्रभावी तरीके से अपने आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित उच्च न्यायालय को भेज दिया है।

उच्च आदेशों की पालना में सरकरी भूमि, ग्रीन बेल्ट, सरकारी पार्क, सडक, फुटपाथ इत्यादि पर बने अवैध धार्मिक संस्थान स्ट्रक्चर, भवन आदि को तुरन्त प्रभाव से हटा लें अन्यथा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुये उपरोक्त भवनों को तोड़-फोड़ कर हटा दिया जायेगा। जिसमें होने वाले हर्जा खर्चा के लिये उपरोक्त संस्थानों को चलाने वाले अनुयायी स्वंय जिम्मेवार होगें। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित के विरूद्ध दंडात्मक एंव न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद सोहना

PRDH-1078/11/732/2026/36193/C/67/7